



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email: cfkumaon_north@rediffmail.com, **2** (05962) 231099 Fax: 230397 पत्रांक - 1589 / 12−1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20/19 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- विषय:— जनपद— पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोहीहाट के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूमि की अध्याली चामाचौड एवं चौखुना मोटर मार्ग का लम्बाई 9. 300 किमी0 में पड़ने वाली 4.905 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/148101/2021।
- सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/16/2023/एफ0सी0/1807 दिनांक 6.03.2023।

महोदय, विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपित्तयों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2776/12—1 (2) दिनांक 05.11.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

संलग्न- यथोपरि।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 2776 /12-1

दिनांक,

पिथौरागढ़,

0,5 - नवम्बर, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,

उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 9.300 किमी0 में पड़ने वाली 4.905 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव कमांक एफ०पी० / यू०के० / रोड / 148101 / 2021)

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी० / 06 / 16 / 2023 / एफ0सी० / 1807 दि 16.03.2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दु सं0 01 से 05 तक आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर दिया गया है।

1 41-	गरेन पर दिया गया है।	
क0 स0ं	भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्ति (प्रश्न)	आपत्तियों का निराकरण (उत्तर)
1	In the component wise break up at para B 2.4 in on line part I, area details are required to be provide.	component wise break up at para B 2.4 in on line part I, में area details अंकित कर दी गयी है।
2	The KML of diversion area is not related to the proposal under consideration and does not match with the alignment provide in the digital map. Further the KML is totally different from the earlier case of FP/ UK/ ROAD/42887/2019. The state Govt is requested to upload correct KML where in location of villages to be benefited are marked.	प्रस्तावक विभाग द्वारा संरेखण की संशोधित KML फाईल में लाभान्वित गांव अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। तथा उक्त के संशोधित मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है।
3	The shape of CA area provided in digital map uploaded in on line part II at para 13 (ii) and that of the shape provided in KML file differ from each other. The clarification in this regard is required to be furnished and correction is required to be done.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की संशोधित KML फाईल व तद्नुसार सी०ए० मैप यथा स्थान ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये हैं। तथा उक्त के संशोधित मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है।
4	As per the DSS analysis of the CA area, 1.0 ha area is found to be MDF. The concerned DFO is requested to be visit the site and ensure the suitability of complete 9.80 ha for planting trees @ 1000 trees per hectare.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नवीन भूमि का चयन किया गया है। उक्त नवीन क्षेत्र 9.810 हैं0 वन पंचायत भूमि का खसरा खतौनी एवं इन्कोमब्रैन्स प्रमाण पत्र जिलाधिकारी की सहमति उपरान्त यथास्थान ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये है। हार्डकापी 4—4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
5	The proposed CA area is found to be overlapping with the CA area which has already been proposed in the proposal no.FP/UK/ROAD/121613/2021(Patch No. 7,South koteshwar camp 5)The overlapped area comes to around 3.87 ha. The concerned DFO is requested to review the same and do necessary corrections in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नवीन 9. 81 हे0 भूमि का वन पंचायत भूमि में चयन किया गया है। उक्त से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

प्रभोगीय वनाधिकारी, न प्रभाग,पिथौरागढ़।